न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 34/2026

01. समीरा राम पुत्र बिषनाराम जाति मेघवाल निवासी लूण खां हाल चक 4 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

.....वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला । ....प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट , 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–19.03.26

यह वादपत्र/प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र/प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादी के नाम से चक 4 केवाईडी मु0नं0 196/62 के किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.3225 हैक्टर कमाण्ड रकबा खातेदारी शुदा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी के रकबा चक 4 केवाईडी मु0नं0 196/62 के किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.3225 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम समेराराम पुत्र बिषनाराम है जो कि कम्प्यूटर लिपिकीय त्रुटि से गलत अंकन हो गया है। जबकि वादी का वास्तविक व सही नाम समीरा राम पुत्र बिषनाराम है। वादी के उक्त रकबा के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम गलत अंकन होने के कारण वादी उक्त रकबा से संबंधित किसी प्रकार की सरकारी योजनाएं व सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। वादी के उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में नाम समेराराम पुत्र बिषनाराम अंकित है जोकि गलत नाम है। जबकि वादी का सही नाम समीरा राम पुत्र बिषनाराम है तथा वादी के समस्त फोटो पहचान के दस्तावेजो आधारकार्ड, पहचान पत्र, पैरकार्ड, जनआधार कार्ड, राषनकार्ड, बैंक पासबुक आदि सभी दस्तावेजों में वादी का नाम समीरा राम पुत्र बिष्नाराम है। वादी ने अपने नाम की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में नाम समीरा राम पुत्र बिषनाराम दुरूस्त करवाने हेतु प्रतिवादी के समक्ष आवेदन किया तथा कहा कि मेरा नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जावे तब प्रतिवादी ने कहा कि आप नाम दुरूस्ती के लिये सक्षम न्यायालय से आदेष लेकर आओ जब तक कोई सक्षम अधिकारी का आदेष नहीं लाओगे तब तक आपका नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त नहीं किया जायेगा। अतः वादपत्र पेषकर श्रीमानजी से निवेदन है कि वादी के नाम का रकबा चक 4 केवाईडी मु0नं0 196/62 के किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.3225 हैक्टर कमाण्ड भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम समेराराम पुत्र बिषनाराम से दुरूस्त कर समीराराम पुत्र बिषनाराम करने की घोषणा कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन का आदेष फरमाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम वादपत्र धारा 88 आरटीएक्ट, धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में जमाबंदी, पहचानपत्र, आधारकार्ड, जनआधार, पैनकार्ड, राषनकार्ड, मूलनिवास, जाति प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत की। ग्राम पंचायत 5 केवाईडी तस्दीक प्रस्तुत की जिसमें लिखा है कि समीरा राम व समेराराम दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है। पत्रावली पर सुना गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट , धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं खाजूवाला चक 4 केवाईडी मु0नं0 196/62 के किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.3225 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी/प्रार्थी का नाम समेराराम की जगह समीरा राम संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच समेराराम नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का समेराराम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम समेराराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 19.03.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)